FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा **154** दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** वाराणसी **P.S. (थाना):** लंका **Year (वर्ष):** 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. 0083 **Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय):** 19/01/2019 02:03 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	354
2	भा दं सं 1860	354(घ)
3	भा दं सं 1860	509

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. Day (दिन): **Date From (दिनांक से** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):**

Date (दिनांक): 19/01/2019 **Time (समय):** 02:03 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004 **Date & Time (दिनांक और समय):** 19/01/2019 02:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):**

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):**
Name of P.S.(थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** भास्वती भट्टाचार्य

(b) **Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1984 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं॰):**

(f) **Passport No.(पासपोर्ट सं॰):** **Date of Issue (जारी करने की तिथि):**

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h)**Address (पता):**

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	म0नं0 86 साकेत नगर कालोनी,लंका,वाराणसी,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	म0नं0 86 साकेत नगर कालोनी,लंका,वाराणसी,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) **Occupation** (व्यवसाय):

(j) **Phone number** (दूरभाष सं.): **Mobile** (मोबाइल सं.):

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars** (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री आनन्द चौधरी		पिता का नाम : अज्ञात	1. अज्ञात ,अज्ञात

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest** (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any** (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण

12. **First Information contents** (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में थाना अध्यक्ष लंका थाना श्रीमान् कृपया श्री आनन्द चौधरी के खिलाफ मेरी शिकायत को स्वीकार कीजिए। विछत पाँच वर्षो से श्री चौधरी मेरी मानहानी Stalking एवं यौन व अकादमिक उत्पीड़न कर रहे है । अपने करियर के डर से तथा इस भय से कि मै अपनी पढाई पूरी नही कर पाऊगी, मैने आज के दिन तक जब तक मैंने अपना PHD का प्रमाणपत्र प्राप्त नही कर लिया मै शिकायत को रोकके रखी 27 अप्रैल 2018 प्रोविजनल प्रमाण पत्र मिलने के बाद मैने एक अकादमिक शिकायत BHU अधिकारी को दर्ज कराई लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नही हुई। यद्यपि मै अब मै BHU में हूँ फिर भी मेरे प्रोफेशनल साथियों के उत्पीड़न किया जा रहा है । इस लिए मै एक औपचारिक कार्यवाही चाहती हूँ । मै जूलाई 2013 मे बनारस आई और वर्तमान में 32/32/c-86 शाकेत नगर कालोनी में हूँ । दिसम्बर 2013 से मै श्री चौधरी द्वारा मानहानि एवं उत्पीड़न का सामना कर रही हूँ जबसे उनका प्रमोशन BHU प्रोफेसर के पद में हुआ, बहुत सारे विद्यार्थियो के द्वारा अनुगत किया गया कि वह मेरे चरित्र का लेंकर अपमान जनक शब्दो का प्रयोग करते है परन्तु कोई भी इस डर से नही बोलता कि वो एक ओहदे वाले व्यक्ति है और जिसे वो नापसंद करते है उसे परेशानी हो सकती है । अप्रैल 2014 में जब मैने PHD शुरु की तब से वे मौखिक रुप से मुझे अपशब्द कहना शुरु किये जिसे लोगो ने मेरे विभाग के सभागर एवं सेमीनार के दौरान सुना । दिसम्बर 2014 में एक सेमिनार मे मूझे अपमानित किया और कहा मुझे विभाग से इस्तिफा देना चाहिए । वो लागातार सभाओ आफिशियल इमेल एव पत्र में मेरे लिए हिन भाषा का प्रयोग करते रहे । उन्हे मेरे बारे में सारी बाते पता होती थी । फेसबुक पर ब्लाक करने के बावजूद भी उन्हे मै क्या लिख रही हूँ पता होता था । वो इस Stalking को स्वीकार भी करते है । यह बहुत हद तक Ragging के समान व लेकिन मुझे फैकल्टी के द्वारा राय दी गई की जब तक पढाई पूरी न हो जाए मुझे इस पर ध्यान नही देना चाहिए । 22 अप्रैल 2015 को BHU कैम्पस में मेरे ऊपर शारीरिक आघात किया गया श्री चौधरी ने मेरे विद्यार्थी उत्पीड़न को कैमरे के सामने यह कहके नकार दिया कि मैने इस विषय को कभी प्राधिकारियों तक नही पहुचायाँ जबकि आपराधिक पत्र इसका सबूत है कि मैने अपराध को रिपोर्ट किया और SSP Varanasi की मदद निर्भिका से FIR की कार्यवाई । मुझे फैकल्टी से चेतावनी दी गई की मै इस आघात के बारे मे बताऊगी तो श्री चौधरी इसका प्रयोग मेरे चरित्रहन करने में करेगे । बहुत सारे अखबारो और लेखो में उनके अपमान शब्दो को बताया गया और यह बताया गया कि वो किस तरह मेरे चरित्र पर प्रश्न कर रहे इस हिसांत्मक प्रहार के डर और आघात के अलावा वह लगातार मुझे धमकी देते है कि यदि विद्यार्थी उनके इच्छा के अनुसार व्यवहार नही करते तो वह उसी अपमान और आक्रोश को दोहरायेगे जैसा उन्होने दूसरे PHD विद्यार्थी निरंजन सोनकर के साथ उन्होने कहा कि उनको अनुशासनात्मक कार्यों में रखने का अधिकार है यह कोई उत्पीड़न नही है । इस पीड़ा और प्रहार के डर की भावना से मै रोज ही रहती थी और बस अपनी पढाई पूरी करना चाहती थी । ताकि पढाई के बीच को अदृश्य रुकावट बल न आ जाए । सोनकर की तरह वह विभाक की कक्षा में मुझे बैठने को अनुमति नही दिये । मुझे विभाग के अन्य स्कॉलर को किये गए मेल की तरह कोई मेल नही और मूझे विभाग की लाईब्रेरी और प्रयोगशाला का प्रयोग नही करने दिया । उन्होने औपचारीक सूचनाओ से विरक्त रखा जो अन्य स्कालर को दी जाती थी ।यहाँ की उन्होने संकाय अध्यक्ष होने के इस कर्तव्य का भी पालन वही किया कि मेरी शैक्षिक फाईले सेंट्रल आफिस में भेजी जाए जिसका नतीजा यह हुआ कि PHD की जमा करने के समय मेरे नाम से कोई फाईल ही नही थी जिससे मेरी प्रगति मे देरी हुई । उन्होने मेरे दस्तावेजो पर संकाय

अध्यक्ष के जरुरी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिससे मेरा अकादमिक कार्य रुक गया। जून 2015 में मैने कुलपति GC त्रिपाठी को निवेदन करके महिला उत्पीड़न आयोग को एक विस्तृत पत्र लिखा और आगे के वर्षो में मैने बहुत सारी Enquiry Mech से पत्र भी प्राप्त किये जो श्री चौधरी द्वारा मेरे विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी को व्यक्त करते है तथा स्वछ प्रमाण है कि मेरा यौन और अकादमिक उत्पीड़न हुआ है। उन्होने 16 जून 2018 को संकाय के सभी सदस्यों को एक EMAIL लिखा जिसमें इसबात को स्वीकारा कि प्रमाण को खोजने के लिए वो मुझे FACEBOOK पर Stalk किये। एक रिकार्डिग में उन्होने मुझ पर गलत आरोप लगाया कि मै 2-3 स्कालर के साथ सेक्स करके यौन तुष्टी कर रही हूँ और विभाग में विभिन्न फैकल्टी के साथ यौन आचरण करके विवाह भंग कर रही हूँ। उन्होने कहा उन्हे अपना विवाह बचाने के लिए उनसे राय दी गयी कि अपने बीवी और बच्चो को गाव में रखे। BHU के प्रोफेसर ने इस रिकार्डिग को सुना और अशिष्ट पाया पर विशाखा गाइडलाइन होने के बाद कोई कार्यवाही नही की। मैने BHU अधिकारियो को इस बारे में सूचित किया परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई और न मेरी सहायता की गई। बल्कि मुझे ही Mr. Chaudhari को को कोई नुकसान न पहुँचाने के लिए चेतावनी दी गई। दिसम्बर 2015 में मुझे अपना वर्तमान पता बदलने पर मजबूर होना पड़ा क्यो कि मैने सूना था कि Mr. Chaudhari लगातार मेरी निजता का हनन कर रहे है और मेरे मकान मालिक तथा आने जाने वाले लोगो से मेरे निजी क्रिया कलापो की जानकारी ले रहे थे इसके बाद मकान मालिक मेरे पास काफी देर देर तक आने लगा तब Mr. चौधरी उसके द्वारा मेरे लिए यौन जनित को प्रसारित किया। इस सम्बन्ध मे आडियो रिकार्डिग मेरे पास मौजूद है। चौधरी द्वारा BHU में विभिन्न जाँच कर्मियो में मेरे चरित्र और विषय में गलत सूचना दी गई। श्री चौधरी प्रत्यक्ष रुप से मौलिक लेखो को कापी करवा सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश करते थे जो मेरे साथ बात चीत करने वालो की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचाए। श्री चौधरी ने भय का ऐसा वातावर बना दिया जिससे मै सामाजिक रुप से पूरी तरह अलग हो गई उनका उद्देश्य मुझे BHU से बाहर करना था। श्रीमान मेरा आप से निवेदन है कि मेरी इस औपचारिक शिकायत को यौन एवं अकादमिक उत्पीड़न, लगातार शत्रुगत व्यवहार, Stalking एवं मानहानी के अन्वेषण हेतु स्वीकार किजिए। लगातार इस स्थित तक प्रताड़ना सहने के बाद अगर इसपर कुछ नही हुआ हमेशा से एक महिलाओ की आवाज जिसके लिए दबाई जाती है तो यह एक और प्रताड़ना की भाती होगी। आशा करती हूँ कि न्याय के उद्देश्य से आप मेरी मदद करेगे जिससे श्री चौधरी के द्वारा पहले भी सताए गये विद्यार्थियों को उत्पीड़ित एवं प्रताड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। ऐसे व्यक्तियो को BHU की साख से खिलवाड़ नही करने देना चाहिए उन्हे अपनी स्थिती का गलत प्रयोग करने के लिए जबाबदेही तय करनी चाहिए। यदि आपको और पमाण चाहिए तो मुझे Contect कर सकते है। भास्वती भट्टाचार्य 86 साकेत नगर कालोनी आधार कार्ड 4357-7126-6799,
नोट- मैं का0मु0 विजय कुमार यादव प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल मुझ द्वारा बोल कर का0 361 अजीत कुमार द्वारा कम्प्यूटर में अक्षरशः अंकित कराया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. **2** में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation: **or**

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम**):** AMRENDRA KUMAR **Rank (**पद**):** SI (Sub-Inspector)
No.(132760139 **to take up the Investigation (**को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया**)**

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए **):**

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. **District**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और **R.O.A.C.(**आर. ओ .ए .सी.**)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)**:**

15. **Date and time of dispatch to the court** (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय)**:**

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम)**:** BHARAT BHUSHAN TIWARI
Rank(पद)**:** I (Inspector)
No.(सं.)**:** 072760257

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद (से॰मी॰))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

वर्ष 09, अंक 276, पेज 20, मूल्य ₹4.00, कार्तिक, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, विक्रम संवत् 2075

हिन्दुस्तान 23/11/18

ने पर नोटिस भेजा

ा मिला बीएचयू प्रोफेसर पर यौन शोषण का केस

वाराणसी | हिन्दुस्तान संवाद

बीएचयू की शोध छात्रा ने गुरुवार को डिग्री मिलने के बाद लंका थाने पर पहुंचकर विश्वविद्यालय के ही एक प्रोफेसर के खिलाफ मानसिक और यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। इंस्पेक्टर लंका ने तहरीर की पुष्टि की।

बीएचयू चिकित्सा विज्ञान संस्थान आयुर्वेद संकाय के रस शास्त्र विभाग के प्रोफेसर आनन्द चौधरी के खिलाफ शोध छात्रा ने गुरुवार को डिग्री मिलने के बाद लंका थाने पर तहरीर दी। मूलरूप से कोलकाता की रहने वाली छात्रा 2013 में आनन्द चौधरी के निर्देशन में शोध करने आई थी। छात्रा ने पूर्व में प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत की थी, जिसपर बीएचयू की महिला यौन उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की तरफ से जांच में प्रोफेसर को दोषी पाया गया था और हिदायत दी गयी कि जबतक छात्रा की डिग्री पूरी नहीं होती तब तक किसी तरह की बात या शिकायत पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। छात्रा को डर था कि कहीं उसकी डिग्री पर रोक न लग जाय इसलिए चुप रही और जैसे ही गुरुवार को डिग्री मिली, लंका थाने पहुंचकर तहरीर दी। इंस्पेक्टर लंका भारत भूषण तिवारी ने बताया कि छात्रा ने मानसिक और सार्वजनिक रूप से अश्लीलता जैसे गंभीर आरोप लगाये हैं।

पहले भी लगे थे आरोप

- शोध छात्रा ने डिग्री मिलने के बाद लंका थाने में दर्ज कराया केस
- मानसिक और सार्वजनिक रूप से अश्लीलता जैसे गंभीर आरोप लगाये

80 से ज्यादा देशों से करार

भारत अब तक 80 से ज्यादा देशों के साथ वित्तीय लेनदेन की जानकारी साझा करने का करार कर चुका है। इसमें स्विट्जरलैंड से 21 दिसंबर 2017 को करार पूरा हुआ था। इसके तहत जनवरी 2019 से जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी।

स्विस बैंक सबसे बड़ा केंद्र

ैंकिंग गोपनीयता को तवज्जो देने वाला स्विट्जरलैंड विदेश में भारतीयों के ालेधन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता प्रधानमंत्री ने जी-20 सम्मेलन में हर वित्तीय सूचनाओं के स्वत: लेनदेन को लेधन के खात्मे के लिए जरूरी बताया इसके बाद स्विट्जरलैंड राजी हुआ।

आज का मौसम
सुबह कुहासा व धुंध बना रहेगा। मौसम शीतल रहेगा।

23.6 अधिकतम तापमान | 8.6 न्यूनतम तापमान

सूर्य
अस्त (आज) 05.35
उदय (कल) 06.45

॥ प्रणाम ॥

प्रकाशोत्सव

दशमेश खालसा सेवा दल की ओर से श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव, संजय गांधी नगर में सुबह नौ बजे।

Gold Rate for 916 Jewellery
₹3040
प्रति ग्राम
SUNDAY OPEN
ndia Jewellers
Limited
2, Kuber Complex, Rathyatra Crossing,
asi Ph : (0542) 2226824, 2226224

दो माह बाद प्रोफेसर पर लिखा केस

जासं, वाराणसी : लंका पुलिस ने महिला उत्पीड़न के मामले में फौरन मुकदमा लिखकर जांच और कार्रवाई के शासनादेश का मखौल उड़ा दिया है। बीएचयू के प्रो. आनंद चौधरी के खिलाफ शोध छात्रा द्वारा यौन शोषण की शिकायत को पुलिस ने दो महीने तक जांच के नाम पर दबाए रखा। शनिवार को केस लिखने के बाद भी पुलिस कह रही है कि विवेचना के बाद तय होगा कि कार्रवाई होगी या नहीं।

बीएचयू के आयुर्वेद विभाग की यह पूर्व शोध छात्रा अब न्यूयार्क में रहती है। उसने 22 नवंबर को लंका थाने में तहरीर देकर प्रो.आनंद चौधरी पर यौन, अकादमिक उत्पीड़न तथा मानहानि का संगीन आरोप लगाया था। 22 नवंबर की आधी रात लंका पुलिस ने मीडिया को बताया था कि मुकदमा लिखा गया है। मगर बाद में पुलिस कहने लगी कि अभी जांच हो रही है।

तहरीर मिलने के लगभग दो महीने बाद 19 जनवरी को छात्रा की शिकायत पर लंका थाने में प्रोफेसर के खिलाफ तीन धाराओं में केस लिखा गया। दो महीने की कथित जांच के बाद भी कार्रवाई के सवाल पर थाना प्रभारी भारत भूषण तिवारी ने कहा कि अब मुकदमे की विवेचना होगी। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। सवाल उठता है कि पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद दो महीने की जांच में क्या साक्ष्य जुटाए थे। यौन शोषण के ज्यादातर मामलों में तत्काल गिरफ्तारी करने वाली पुलिस का इस हाई प्रोफाइल प्रकरण में बयान और व्यवहार बता रहा है कि किसी के दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही।

वार

ल
क
लाल

जागरण
विभाग
गवां बैठे
से न मि
सड़क
स्थित
अंतर्गत
संविदा
विभागी
कर्मचारी
है। लाल
लाइन

Romsons
Patient Care Division

reconstruction and repair would be completed immediately after

strange that the Allahabad Nagar Nigam failed to lay down

observed. The court ... ary 15 as next date of hearing.

Hindustan times 20/1/19

Youth shoots brother dead over monetary dispute

HT Correspondent
• allahabad.htdesk@hindustantimes.com

PRAYAGRAJ: A youth shot dead his elder brother allegedly over monetary dispute in Electronic Market area here on Saturday morning, police said.

SP City Brajesh Kumar Srivastava said the deceased, Nitin Chaurasia (37), used to run an electronic goods shop on the ground floor of his house while his family lived on the upper floor.

On Saturday morning, he had a scuffle with his younger brother Vishal, who was addicted to alcohol and gambling and often used to demand money, Srivastava said.

In the heat of the moment, Vishal opened fire on Nitin twice and fled from the house, Srivastava said quoting the deceased's mother and wife.

Police reached the spot on and recovered a semi automatic .32 bore pistol and two empty cartridges from the spot.

Nitin was taken to Swaroop Rani Nehru Hospital where he died during treatment, said doctors.

Bullet wounds were found in a thigh and in the back of the body during the autopsy.

On the complaint of Nitin's cousin, a named FIR has been lodged against Vishal and a hunt has been launched to nab him, he said.

• Pistol recovered from the crime spot. HT

YOUTH SHOT AT

A 26-year-old youth was shot at by unidentified miscreants near fire brigade crossing late on Friday night, police said.

The youth was admitted to SRN Hospital where his condition was reported to be critical.

The victim Manoj Singh of Kareli area worked in a pharmacy in Civil Lines and was spotted lying unconscious by passersby near the fire brigade crossing.

He was rushed to SRN Hospital by police where doctors confirmed two gunshot injuries in Manoj's chest and stomach.

Circle Officer Alok Mishra said primary investigations revealed that Manoj had a scuffle with some youths in Civil Lines over an eve teasing incident the same evening.

It is suspected that the same youths assaulted Manoj.

BHU professor booked for sexual harassment of research scholar

HT Correspondent
• letters@hindustantimes.com

VARANASI: Police on Saturday registered a case against BHU professor, who was accused of sexual harassment by a former research scholar.

The research scholar, who did research in Ayurveda, had lodged a complaint with police on November 22 last year, police said.

Bharat Bhushan Tiwari, in-charge, Lanka police station, said a case has been registered against the professor under relevant sections of IPC after initial investigations.

Pursuing her research under Prof Anand Chaudhary since 2013, the girl had filed the complaint after receiving her degree during convocation on November 22. Prof Chaudhary, however, refuted allegations levelled against him.

The scholar told the police that she had earlier lodged a complaint of mental torture against the professor at women's grievance address cell in June 2015. After probe, the committee had warned Prof Chaudhary of strict action if any complaint was received from the scholar until her course was completed.

Refuting charges against him, Prof Chaudhary said: "It is a conspiracy against me. A professor emeritus is behind the conspiracy and the scholar has lodged the FIR on his behest."

वाहिनी के ... सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गये। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य रूप से पुलिस

आज 20/1/19

बीएचयू प्रोफेसर के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा

बीएचयू के प्रोफेसर आनन्द चौधरी के खिलाफ शनिवार को लंका थाने में छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लंका थाना क्षेत्र के समेत नगर कालोनी की निवासिनी छात्रा बीएचयू के एस्स शास्त्र विभाग से पीएचडी कर रही है। उसका आरोप है कि प्रोफेसर आनन्द चौधरी जी मेरे गाइड है। जो मेरे साथ कई माह से अश्लील हरकत करते चले आ रहे है। उनकी हरकतों से परेशान शोध छात्रा शनिवार को लंका थाने पहुंची और प्रोफेसर आनंद चौधरी के खिलाफ नामजद तहरीर दिया। लंका पुलिस ने उनके खिलाफ धारा ३५४-(क) (ख) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। एक वर्ष पूर्व भी उक्त छात्रा ने एसएसपी से गुहार लगायी थी लेकिन पुलिस ने कोई काररवाई नही कर सकी थी।

गैंगरेपके आरोपीकी गिरफ्तारीपर रोक

सेवापुरी। कपसेठी थाना के अंतर्गत ग्राम सीसवा में प्राथमिक विद्यालय

दैनिक जागरण 23/11/18

बीएचयू प्रोफेसर पर यौन शोषण का केस

जासं, वाराणसी : आयुर्वेद संकाय के प्रोफेसर आनंद चौधरी के खिलाफ शोध छात्रा ने लंका थाने में यौन शोषण और गालीगलौज का केस लिखाया। पश्चिम बंगाल की यह छात्रा अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में रहती है। वह दो दिन पहले डिग्री लेने आई थी।

गुरुवार को डिग्री मिलने के बाद उसने लंका थाने में शिकायत की जिसके बाद प्रोफेसर के खिलाफ केस लिखा गया। पूर्व कुलपति प्रो. जीसी त्रिपाठी के कार्यकाल में छात्रा ने जून 2015 में महिला शिकायत समिति के समक्ष शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं गई थी। पीड़ित छात्रा के अनुसार पीएचडी के दौरान प्रोफेसर आनंद चौधरी ने उसके बारे में भ्रामक और अपमानजनक बातें ही नहीं प्रसारित की बल्कि शैक्षणिक सत्र को भी प्रभावित करने की कोशिश की। पीएचडी के दौरान वह सिर्फ अपने कॅरियर को बचाने के लिए खामोश रही। बावजूद इसके 27 अप्रैल 2018 को अस्थाई प्रमाण पत्र मिलने के बाद उसने बीएचयू प्रशासन से शिकायत की। इस मामले में लंका थाने में भी तहरीर दी गई जिसे आज तक दर्ज नहीं किया गया।

> विभाग के एक इमेरिटस प्रोफेसर की साजिश पर एफआइआर दर्ज कराई गई है। विवि प्रशासन जांच कराकर पहले ही आरोप मुक्त कर चुका है। इससे मेरी छवि धूमिल हो रही है। मैं न्याय में विश्वास रखता हूं। मैं भी इस मामले में उल्टा मुकदमा दर्ज कराउंगा।
>
> **-प्रो. आनंद चौधरी,** रसशास्त्र विभाग, आयुर्वेद संकाय, बीएचयू

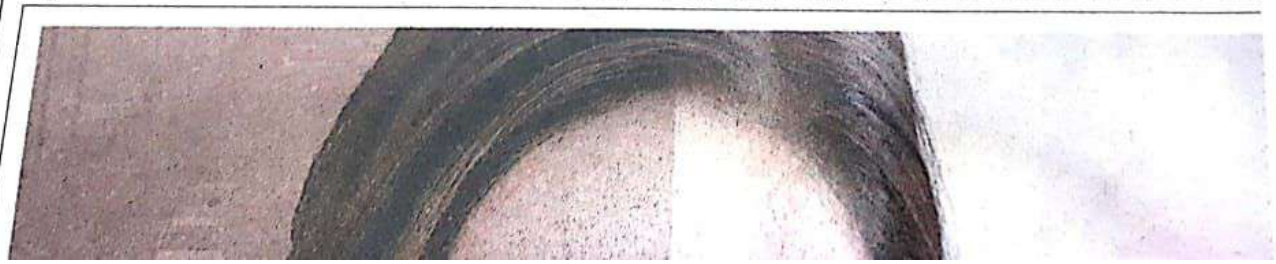

...उजियारा

...साथ ही आयोजन समिति की ओर से ...की गई है। ड्रोन कैमरे की निगरानी के ...सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रखी ...ी। राजघाट पर मुख्यमंत्री के समक्ष ...शो का ट्रायल किया जाएगा। वहीं ...मेध घाट, तुलसी घाट, अस्सी ...अहिल्याबाई घाट, राजा घाट, ...ाट, पंचगंगा घाट, राम घाट ...गहों पर दीप प्रज्ज्वलन, गंगा ...ग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ...को लेकर कई घाटों पर गुरुवार ...में पीपे पर मंच बनाने का ...रहा। दशाश्वमेध घाट पर ...ाह तक चले आकाश दीप ...भव्य समापन होगा।

संबंधित खबरें>>4,5

देश को आग ल जान शेष पेज 15 पर...

करन लिए शेष पेज 15 पर...

बीएचयू के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का केस

जनसंदेश न्यूज

शर्मनाक

उत्पीड़न करने वालों की सूची में था नाम, प्रोफेसर ने साजिश बताया

वाराणसी। बीएचयू आयुर्वेद संकाय के रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग के प्रो. आनंद चौधरी के खिलाफ शनिवार को लंका थाने में एक पूर्व छात्रा के साथ छेड़खानी, यौन उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर, प्रोफेसर ने अपने खिलाफ साजिश बताया है।

प्रो. आनंद चौधरी पर आरोप लगाने वाली छात्रा ने विश्वविद्यालय आयुर्वेद संकाय के रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग से 2014 से 2017 तक शोध कार्य किया। लंका थाने में दी गई तहरीर में पूर्व छात्रा ने कहा है कि प्रो. चौधरी द्वारा चरित्र को लेकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के साथ ही और लोगों के सामने भी बातें की जा रही हैं। समय-समय पर शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित करने की धमकी दी गई और यहां तक कि शोध से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर भी नहीं हो पाया।

इधर, मामले में लंका थाने में प्रोफेसर पर छेड़खानी, यौन उत्पीड़न सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। छात्रा ने 27 अप्रैल 2018 को बीएचयू प्रशासन में शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 22 नवंबर को छात्रा ने प्रोफेसर के खिलाफ लंका थाने में शेष पेज 15 पर...